

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

ब्लॉक-5, द्वितीय से पंचम तल
डॉ. एस. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर, जे.एल.एन मार्ग, जयपुर

E-mail : smsa.asfe2021@gmail.com

क्रमांक - रास्कूशिप/जय/वै.शि./PMSHRI-TV दिशा-निर्देश 2026-27/7315-दिनांक :- 17/8/26

कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों एवम् कक्षा 9 व 10 की बालिकाओं हेतु ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना - दिशा निर्देश 2026-27 (पीएमश्री) डीबीटी किये जाने के सन्दर्भ में

1. उद्देश्य :-

आरटीई नियमों के तहत छितरी, कम आबादी क्षेत्रों एवं 'ढाणियों', जहां निर्धारित मापदण्डानुसार विद्यालय का संचालन संभव नहीं है, में निवास कर रहे 6 से 14 आयु वर्ग के बालक-बालिकाओं को सहज एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिये उनके वास स्थान से निकटस्थ विद्यालयों में अध्ययन हेतु सुगमतापूर्वक पहुंचाने के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्र के कक्षा 1 से 8 पात्र बालक-बालिकाओं हेतु ट्रांसपोर्ट वाउचर सुविधा का प्रावधान किया गया है।

बालिका शिक्षा में नामांकन दर, ठहराव दर बढ़ाने व जेण्डर गैप कम करने की दृष्टि से तथा बालिका सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कक्षा 9 व 10 की पात्र/चयनित बालिकाओं को ट्रांसपोर्ट वाउचर की सुविधा से लाभान्वित किया जाना है।

2. ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना से लाभान्वित होने हेतु पात्रता -

सारणी - 1

कक्षा 1 से 8 के बालक-बालिकाओं हेतु	कक्षा 9 से 10 की बालिकाओं हेतु
ग्रामीण क्षेत्र के पीएमश्री राजकीय विद्यालयों में नामांकित कक्षा 1 से 5 के ऐसे विद्यार्थी, जिनके वास स्थान से 1 किमी की परिधि में कोई राजकीय प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध नहीं है एवं उन्हें 1 किमी से अधिक की दूरी तक जाना पड़ता है।	ग्रामीण क्षेत्र के पीएमश्री राजकीय माध्यमिक / उच्च माध्यमिक विद्यालयों की कक्षा 9 से 10 में अध्ययन हेतु 5 किमी. से अधिक की दूरी से आने वाली बालिकाएं।
ग्रामीण क्षेत्र के पीएमश्री राजकीय विद्यालयों में नामांकित कक्षा 6 से 8 के ऐसे विद्यार्थी, जिनके वास स्थान से 3 किमी. से अधिक की दूरी तक कोई राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध नहीं है एवं उन्हें 3 किमी से अधिक की दूरी तक जाना पड़ता है।	-

3 ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के तहत निर्धारित राशि की दर :-

सारणी - 2

कक्षा	विद्यालय का प्रकार	वास स्थान से विद्यालय की दूरी	श्रेणी	दर (प्रति उपस्थिति दिवस)	प्रति विद्यार्थी पीएबी में प्रावधित किया गया बजट
1 से 5	पीएमश्री राजकीय विद्यालय	1 किमी. से अधिक	बालक व बालिका	14 रुपये	3437/- रुपये स्वीकृत।
6 से 8		3 किमी. से अधिक	बालक व बालिका		
9 व 10		5 किमी से अधिक ग्रामीण क्षेत्र का विद्यालय	बालिका		

(Signature)

4 ध्यान देने योग्य बातें :-

- 4.1 विद्यार्थियों के निवास स्थान से विद्यालय की दूरी तथा कारण सही एवं भली प्रकार जाँचकर शाला दर्पण पर प्रविष्ट करें। त्रुटि के कारण पात्र विद्यार्थी योजना से वंचित रहने एवम् अपात्र के चयनित होने पर समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित संस्था प्रधान की रहेगी।
- 4.2 कक्षा 9 में प्रवेश लेने वाली बालिकाएँ साइकिल योजना से अथवा नियमानुसार ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना में से किसी भी एक योजना का लाभ ले सकती है। किसी भी स्थिति में कक्षा 9 व 10 की बालिकाओं को उक्त दोनों योजना से एक साथ लाभान्वित नहीं किया जा सकेगा।
- 4.3 शिविरा पंचांग के कार्य दिवसों की गणना के आधार पर परिषद कार्यालय से ट्रांसपोर्ट वाउचर की राशि जारी की जाती है। संस्था प्रधान द्वारा पात्र विद्यार्थियों को वास्तविक उपस्थिति एवम् प्रावधित बजट के आधार पर ट्रांसपोर्ट वाउचर/सुविधा राशि जारी की जाएगी।
- 4.4 संस्था प्रधान द्वारा विद्यार्थियों की शाला दर्पण पर निर्धारित प्रपत्र 'विद्यार्थी विस्तृत विवरण प्रपत्र-9' में विद्यार्थी के निवास स्थान से विद्यालय की दूरी अंकित कर लॉक किया जाएगा। तत्पश्चात दूरी सम्बन्धी प्रविष्टि में किसी भी प्रकार के संशोधन होने पर इसे सम्बन्धित सीबीईओ कार्यालय से करवाया जा सकेगा। इस हेतु सम्बन्धित संस्था प्रधान द्वारा लिखित में सीबीईओ कार्यालय को सूचित करना होगा। इसी प्रकार सीबीईओ कार्यालय से संशोधन पश्चात भी किसी प्रकार के संशोधन किये जाने की कार्यवाही सीडीईओ/एडीपीसी लॉग-इन से की जा सकेगी।

5 ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का संचालन -

- 5.1 ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का संचालन राज्य स्तर पर राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद अन्तर्गत समसा, जिला स्तर पर सीडीईओ/एडीपीसी, ब्लॉक स्तर पर सीबीईओ, पंचायत स्तर पर पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (पीईईओ) एवं विद्यालय स्तर पर एसडीएमसी/एसएमसी द्वारा किया जायेगा।
- 5.2 पात्र विद्यार्थियों की सूचना शाला दर्पण पोर्टल से प्राप्त कर राशि शिविरा पंचांग के कार्यदिवसों की गणना तथा प्रावधित बजट को संज्ञान में रखते हुए डी0बी0टी0 के माध्यम से राशि जारी की जायेगी।

6 ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना संचालन के दायित्व -

A- परिषद कार्यालय, जयपुर के दायित्व :-

1. शाला दर्पण पोर्टल पर ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना हेतु आवेदित किये गये विद्यार्थियों की सूचना प्राप्त कर, प्राप्त सूची में से नियमानुसार पात्र/चयनित विद्यार्थियों का निर्धारण करना।
2. शाला दर्पण पोर्टल से प्राप्त सूचना अनुसार राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा समस्त जिलों के एडीपीसी कार्यालय को ट्रांसपोर्ट वाउचर राशि आहरण की स्वीकृति दी जाएगी।
3. शिविरा कलैण्डर में निर्धारित शैक्षिक दिवसों में विद्यार्थी की उपस्थिति की गणना के आधार पर परिषद कार्यालय द्वारा एडीपीसी को राशि जारी की जाएगी।
4. राशि जारी करने से पूर्व जिलों से आईएफएमएस कोड/डीडीओ कोड, पीडी खाता संख्या, ऑफिस आई.डी. इत्यादि की सूचना संकलित करना।

B- सीडीईओ /अति० जिला परियोजना समन्वयक के दायित्व :-

1. ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना हेतु पात्र विद्यार्थियों की सूचना शाला दर्पण पोर्टल के निर्धारित प्रपत्र 9 में प्रविष्टि करवाने हेतु समस्त सीबीईओ कार्यालय/संस्थाप्रधानों को निर्देशित करना।
2. योजना हेतु परिषद् से जारी प्रशासनिक एवम् वित्तीय स्वीकृति के अनुसार समस्त ब्लॉक कार्यालयों को राशि जारी करने की कार्यवाही निर्धारित समयावधि में करना।
3. समय-समय पर योजना से सम्बन्धित परिषद् से जारी निर्देशों की पालना करवाना।
4. समस्त कार्य की निरन्तर मॉनीटरिंग करना। योजना के सफल संचालन हेतु आवश्यकतानुसार समस्त सीबीईओ कार्यालयों/संस्थाप्रधानों को निर्देशित /मार्गदर्शन करना।
5. योजना से लाभान्वित होने वाले विद्यार्थियों के जन-आधार बनवाने/अद्यतन करवाने एवम् बैंक खाते को जन आधार से लिंक करवाने हेतु निर्देश प्रदान कर कार्य की मॉनीटरिंग करना।
6. समस्त पात्र विद्यार्थियों को राशि जारी हो सके इस हेतु नियमित रूप से शाला दर्पण पोर्टल से जिले की ब्लॉकवार, स्कूलवार, विद्यार्थीवार सूचना की मॉनीटरिंग करना।
7. परिषद् कार्यालय के दायित्व संख्या 04 की पालना सुनिश्चित करना।

C- सीबीईओ कार्यालय के दायित्व :-

1. सीबीईओ द्वारा ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना की मॉनीटरिंग की जायेगी। पीईईओ कार्यालय एवं ब्लॉक के प्रावि/उप्रावि/माध्यमिक/उ०माध्यमिक विद्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण कर रेन्डम सर्वे द्वारा ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का प्रभावी क्रियान्वयन करवाया जाएगा।
2. ब्लॉक के समस्त पीईईओ कार्यालयों से ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का दिशा-निर्देशों अनुसार प्रभावी क्रियान्वयन करवाना।
3. संस्थाप्रधानों द्वारा सत्यापित किये गये प्रपत्र 2 की सूचना सम्बन्धित सीबीईओ कार्यालयों द्वारा संकलित की जाएगी।
4. परिषद् कार्यालय के दायित्व व एडीपीसी के दायित्व क्रमशः 04, 07 की पालना सुनिश्चित करना।

D- पीईईओ/संस्था प्रधान/एसडीएमसी/एसएमसी के दायित्व :-

सारणी -3

दायित्व	किये /करवाये जाने वाले कार्य	प्रपत्र	उप-प्रपत्र
समस्त संस्था प्रधान	ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना हेतु पात्र विद्यार्थियों या उनके अभिभावकों से भरवाया जायेगा।	1	भाग-क
समस्त संस्था प्रधान	प्रपत्र-1 की जांच एवं प्रमाणीकरण करना	1	भाग-ख
समस्त संस्था प्रधान	शाला दर्पण पोर्टल पर प्रविष्टि का अंकन कर प्रमाणीकरण करना।	2	-

1. उक्त प्रपत्र-1 का भाग-क को समस्त संस्था प्रधान प्रवेश आवेदन फार्म के साथ अभिभावकों/संरक्षकों से भरवाना सुनिश्चित करें तथा शाला दर्पण में प्रविष्टि करना सुनिश्चित करें।
2. संस्था प्रधान द्वारा समस्त प्रार्थना/आवेदन पत्रों के सत्यापन/प्रमाणीकरण प्रपत्र-1 के भाग-ख में किया जायेगा।
3. प्रपत्र-2 के द्वारा संस्थाप्रधान द्वारा योजना के लिये नियमानुसार पात्र विद्यार्थियों को योजना से लाभ दिये जाने को शालादर्पण पोर्टल पर सत्यापित करना।

4. संस्थाप्रधानों द्वारा सत्यापित किये गये प्रपत्र 2 की सूचना सम्बन्धित पीईईओ कार्यालयों द्वारा संकलित की जाएगी।
5. नियमानुसार पात्र विद्यार्थियों को उनके बैंक खाते में अथवा उनके माता-पिता/अभिभावक के खाते में राशि जारी की जाएगी।

7 ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का वित्तीय प्रबन्धन-

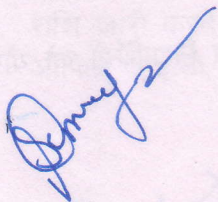
- 7.1 ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के संचालन हेतु राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा पीएमश्री योजना की पीएबी में ट्रांसपोर्ट वाउचर मद में स्वीकृत राशि का उपयोग किया जायेगा।
- 7.2 पीएमश्री योजना की वार्षिक कार्ययोजना व बजट 2026-27 में कक्षा 1 से 10 के ट्रांसपोर्ट वाउचर हेतु पात्र विद्यार्थियों को अधिकतम रुपये 3437/- रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे अधिक राशि किसी भी विद्यार्थी को देय नहीं है।
- 7.3 राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा जिलों को ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना अंतर्गत राशि जारी की जायेगी। यह राशि शालादर्पण पोर्टल पर पात्र विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार IFMS 3.0 से आहरण स्वीकृति के रूप में जारी की जायेगी।
- 7.4 सत्र का उपयोगिता प्रमाण-पत्र ब्लॉक कार्यालय को प्रेषित किया जायेगा।
- 7.5 सत्र का उपयोगिता प्रमाण-पत्र ब्लॉक के समस्त पीईईओ/माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों से प्राप्त कर ब्लॉक का उपयोगिता प्रमाण-पत्र एडीपीसी कार्यालय को प्रेषित किया जायेगा।
- 7.6 राशि का उपयोग शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार एवं वित्तीय नियमों की पूर्ण पालना करते हुये विहित प्रक्रियानुसार किया जाना सुनिश्चित करें।
- 7.7 कार्य में "राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013" की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जाये।
- 7.8 राशि का उपयोग वित्तीय नियमानुसार किया जायेगा।

8 ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना की मॉनीटरिंग एवं पर्यवेक्षण -

- 8.1 राज्य स्तर - परिषद द्वारा संबंधित प्रकोष्ठ एवं शालादर्पण पोर्टल के माध्यम से।
- 8.2 जिला स्तर - सीडीईओ / एडीपीसी कार्यालय द्वारा।
- 8.3 ब्लॉक स्तर - सीबीईओ कार्यालय द्वारा।
- 8.4 विद्यालय स्तर - संकुल कार्यालय अधिकारी एवं विद्यालय के संस्था प्रधान तथा एसएमसी / एसडीएमसी द्वारा।

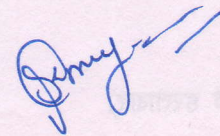
9 मांग एवं प्रगति की सूचना-

- 9.1 ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना हेतु पात्र विद्यार्थियों की संख्या शालादर्पण पोर्टल पर प्राप्त की जाकर उसी अनुसार जिलों को राशि हस्तान्तरित की जायेगी।
- 9.2 ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना की प्रगति की समीक्षा शालादर्पण पोर्टल से राज्य स्तर पर की जायेगी।



PMSHRI Transport Voucher Target for 2026-27

Sl.No.	District	Students	Financial Budget in lakh
1	AJMER	157	5.39609
2	ALWAR	213	7.32081
3	BALOTARA	275	9.45175
4	BANSWARA	76	2.61212
5	BARAN	59	2.02783
6	BARMER	1084	37.25708
7	BEAWAR	166	5.70542
8	BHARATPUR	117	4.02129
9	BHILWARA	156	5.36172
10	BIKANER	984	33.82008
11	BUNDI	244	8.38628
12	CHITTAURGARH	82	2.81834
13	CHURU	389	13.36993
14	DAUSA	40	1.37480
15	DEEG	1	0.03437
16	DHAULPUR	109	3.74633
17	DIDWANA-KUCHAMAN	325	11.17025
18	DUNGARPUR	88	3.02456
19	GANGANAGAR	433	14.88221
20	HANUMANGARH	127	4.36499
21	JAIPUR	402	13.81674
22	JAISALMER	496	17.04752
23	JALOR	1323	45.47151
24	JHALAWAR	33	1.13421
25	JHUNJHUNU	513	17.63181
26	JODHPUR	824	28.32088
27	KARALI	145	4.98365
28	KHAIRTHAL-TIJARA	4	0.13748
29	KOTA	20	0.68740
30	KOTPUTLI-BEHROR	29	0.99673
31	NAGPUR	269	9.24553
32	PALI	143	4.91491
33	PHALODI	1016	34.91992
34	PRATAPGARH	188	6.46156
35	RAJSAMAND	128	4.39936
36	SALUMBAR	28	0.96236
37	SAWAI MADHOPUR	106	3.64322
38	SIKAR	913	31.37981
39	SIROHI	55	1.89035
40	TONK	37	1.27169
41	UDAIPUR	492	16.91004
	Grand Total	12289	422.37293

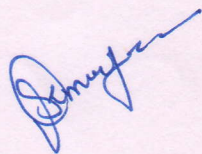


प्रपत्र-1 (भाग-क)
कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों एवं कक्षा 9 व 10 की बालिकाओं के लिए
ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र
(विद्यार्थी / अभिभावक द्वारा भरा जायेगा)

1. छात्र/छात्रा का नाम व पता :
 2. पिता/अभिभावक का नाम :
 3. वर्तमान विद्यालय का नाम व पता : कक्षा :
 4. निवास स्थान का पता :
 5. निवास स्थान से विद्यालय की दूरी : कि०मी०
- A. कक्षा 1 से 5 के लिए 1 किमी से अधिक पर एवं कक्षा 6 से 8 के लिए 3 किमी से अधिक एवं कक्षा 9 से 10 के लिए 5 किमी से अधिक दूरी होने पर निम्न कारणों में से किसी एक कारण पर ✓ का निशान लगाएं:-
- I. ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों की कक्षा 1 से 5 के विद्यार्थियों के लिए -**
- विद्यार्थी के निवास स्थान के 1 किमी परिधि में राजकीय विद्यालय है परन्तु स्वेच्छा से अध्यनरत है। ☐
 - विद्यार्थी के निवास स्थान के 1 किमी परिधि में राजकीय विद्यालय है परन्तु अपने भाई/बहन/परिवारजन के साथ विद्यालय में अध्ययनरत है। ☐
 - विद्यार्थी के निवास स्थान के 1 किमी परिधि में राजकीय विद्यालय नहीं है। ☐
- II. ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों की कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों के लिए -**
- विद्यार्थी के निवास स्थान के 3 किमी परिधि में राजकीय विद्यालय है परन्तु स्वेच्छा से अध्यनरत है। ☐
 - विद्यार्थी के निवास स्थान के 3 किमी परिधि में राजकीय विद्यालय है परन्तु अपने भाई/बहन/परिवारजन के साथ विद्यालय में अध्ययनरत है। ☐
 - विद्यार्थी के निवास स्थान के 3 किमी परिधि में राजकीय विद्यालय नहीं है। ☐
- III. ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों की कक्षा 9 से 10 की बालिकाओं के लिए -**
- बालिका के निवास स्थान से विद्यालय की दूरी 5 किमी से अधिक है व बालिका साईकिल योजना से लाभान्वित नहीं है। ☐
- IV. स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूलों की कक्षा 6 से 8 की उसी पंचायत समिति की बालिकाओं के लिए -**
- बालिका के निवास स्थान से विद्यालय की दूरी 3 किमी से अधिक है। ☐
- V. स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूलों की कक्षा 9 से 10 की उसी पंचायत समिति की बालिकाओं के लिए -**
- बालिका के निवास स्थान से विद्यालय की दूरी 5 किमी से अधिक है व बालिका साईकिल योजना से लाभान्वित नहीं है। ☐
- VII. ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना हेतु विकल्प :-**
- एसएमसी / एसडीएमसी के माध्यम से सामूहिक परिवहन सुविधा ली जानी है। ☐
 - स्वयं के स्तर पर ट्रांसपोर्ट व्यवस्था की जानी है। ☐

(अभिभावक/संरक्षक के हस्ताक्षर)

(छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर)



प्रपत्र - 1 (भाग- ख)
(कार्यालय उपयोग हेतु)
पीएमश्री संस्थाप्रधान द्वारा प्रमाणीकरण

प्रमाणित किया जाता है कि विद्यालय में अध्ययनरत बालक-बालिकाओं में से कुल बालक-बालिकाओं ने ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के लिये आवेदन किया है। इनके सभी तथ्य सही पाये गये हैं। आवेदन पत्रों की जांच कर ली गयी है एवं सभी तथ्य सही पाये गये हैं। अतः आवेदन में वर्णित समस्त तथ्य मेरी जानकारी में सत्य हैं। ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना 2026-27 के दिशा-निर्देशानुसार अनुशंषा हेतु SMC/SDMC के समक्ष प्रस्तुत है। सत्र 2026-27 के लिये पात्र / चयनित विद्यार्थियों की संख्यात्मक कक्षावार सूचना निम्नानुसार है -

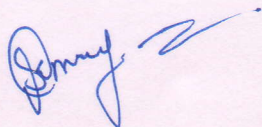
क्र०स०	कक्षा	पात्र / चयनित विद्यार्थी संख्या
1	Class - 1	
2	Class - 2	
3	Class - 3	
4	Class - 4	
5	Class - 5	
6	Class - 6	
7	Class - 7	
8	Class - 8	
9	Class - 9	
10	Class - 10	
	Total	

हस्ताक्षर संस्थाप्रधान
मय सील

प्रपत्र-2
पीएमश्री संस्थाप्रधान द्वारा प्रविष्टि का शाला दर्पण पर
अंकन व स्वीकृति

नियमानुसार पात्र विद्यार्थियों की शाला दर्पण पर ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का लाभ दिये जाने की प्रविष्टि ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना 2026-27 के दिशा-निर्देश अनुसार कर दी गई है। समस्त विद्यार्थियों को ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का लाभ दिये की प्रविष्टि को शाला दर्पण पोर्टल पर सत्यापित कर दिया गया है।

ह. संस्थाप्रधान
मय सील एवं दिनांक



प्रबन्ध पोर्टल एवम् IFMS 3.0 की व्यय राशियों में किसी प्रकार का अन्तर स्वीकार्य नहीं होगा।
अन्यथा सम्बन्धित की जिम्मेदारी तय कर उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।

(डॉ० रश्मि शर्मा) 17/8/26
राज्य परियोजना निदेशक एवम् आयुक्त

क्रमांक:- रास्कूलशिप/जय/वैशि/ट्रांसपोर्ट वाउचर दिशा-निर्देश/2026-27/ 7315 दिनांक : 17/8/26
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सहायक, आयुक्त एवं राज्य परियोजना निदेशक, रा.स्कूल.शि.प., जयपुर।
3. निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को भेजकर निवेदन है कि कृपया उक्त अनुदान के समुचित उपयोग हेतु, संयुक्त निदेशक/सीडीईओ/जि.शि.अ. प्रा. एवं मा./सीवीईओ/पीईईओ को आवश्यक निर्देश प्रदान करावें।
4. निदेशक, संस्कृत शिक्षा निदेशालय, ब्लॉक 06, शिक्षा संकुल परिसर, जयपुर को लेख है कि विद्यार्थियों के निवास से विद्यालय की दूरी का आधार अन्य संस्कृत विद्यालय के साथ-साथ शिक्षा विभाग के राजकीय विद्यालय की निकटतम दूरी की गणना करते हुये प्रस्ताव परिषद कार्यालय को प्रस्तुत करें।
5. निजी सहायक, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक, (प्रथम/द्वितीय), रा.स्कूल.शि.प., जयपुर।
6. वितीय सलाहकार, रा.स्कूल.शि.प., जयपुर।
7. उपायुक्त, पीएमश्री योजना, राज0 स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
8. उपायुक्त, शाला दर्पण, राज0 स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
9. वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी, एनआईसी, शिक्षा संकुल जयपुर।
10. जिला परियोजना समन्वयक, अति0 जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा समस्त जिले।
11. समस्त जिला प्रभारी अधिकारी, राज0 स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
12. प्रोग्रामर, राज0 स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर को लेख है कि उक्त दिशा निदेश को अपलोड करना सुनिश्चित करें।
13. रक्षित पत्रावली।